राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठांसीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 41/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–18.02.2025

उनवान

1. जगदीश पिता कजोड जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. नवनन्द पिता रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. महावीर पिता रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. लोकेश पिता रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. सत्यनारायण आ0 रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. हरिओम पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. अंजना पुत्री रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. कृष्णा पुत्री रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. बद्रीबाई पत्नी रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामलाल पिता रामकरण जाति गुर्जर निवासी बालाजी की डुंगरी की तरफ, सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. हीरालाल पिता रामकरण जाति गुर्जर निवासी बालाजी की डुंगरी की तरफ, सोरण तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

आदेश दिनांक : 28.08.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 200 खसरा संख्या 1100/1988 रकबा 0.9955 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1134 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1140 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1144 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1145 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1146 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1153 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.7276 हैक्टेयर वाके ग्राम सोरण पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। तथा खातेदार रामस्वरूप की मृत्यु हो चुकी है, जिसके प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के दक्षिणी व पूर्वी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमिया स्थित है, तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की दोनों तरफ से करीब 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि को अपने कब्जे में ले रखी है। तथा फिर भी जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है और प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज्र करते है जबकि प्रार्थीगण अपने खाते में दर्ज भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है, परन्तु अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थी की भूमियों को अपनी भूमि बताकर प्रार्थीगण की करीब 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि को अपने कब्जे में ले रखी है, आये दिन बिना कारण प्रार्थीगण की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास करते है तथा प्रार्थीगण ने अपनी भूमियों का सीमाज्ञान करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 30.06.2023 को श्रीमान नायब तहसीलदार साहब दबलाना के आदेश क्रमांक 556–8/एल0आर0/23 दिनांक 28.06.2023 की पालना में प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु गठित टीम पटवार मण्डल सोरण, हल्का रोणीजा, पटवार हल्का रामचन्द्रजी का खेडा के साथ उक्त भूमियों का सीमाज्ञान किया गया परन्तु फिर भी अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आये दिन प्रार्थीगण को धमकिया दे रहे है कि तुम्हारी भूमियों पर जबरन कब्जा करेगे, अभी दिनांक 05.01.2025 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थीगण की भूमियों पर आ गये और जबरन भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया प्रार्थीगण ने मना किया तो गाली गलोच कर मारपीट करने पर आमादा हुये तथा धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमियों पर कब्जा करके रहेगे, और तुम्हारी सीमाओं की मेडो को तोडकर हमारी भूमि में मिलायेंगे, और तुझे उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करने देंगे, यही प्रार्थना पत्र का कारण है, जो निरन्तर चल रहा है। प्रार्थीगण के पास सीमा सम्बन्धी विवादों को स्पष्ट समाधान हेतु पत्थरगढी के अलावा अन्य कोई कोई विकल्प नही है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी करवाये। प्रार्थीगण पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खाता संख्या 200 खसरा संख्या 1100/1988 रकबा 0.9955 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1134 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1140 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1144 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1145 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1146 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1153 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.7276 हैक्टेयर वाके ग्राम सोरण पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 01 व 02 की ओर

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से खसरा संख्या 1100 पर अपनी–अपनी जगह काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण की भूमियों के मध्य आम रास्ता निकल रहा है, जिसके एक ओर प्रार्थीगण और दूसरी ओर अप्रार्थीगण काबिज है। अप्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि पर रहने के लिए मकान बना रखा है तथा वही निवास कर रहे है तथा अपने मकान के आगं लगभग 2.10 बीघा भूमि सिवायचक है जिसकी पेनल्टी अप्रार्थीगण भरता चला आ रहा है, जिसको प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर खसरा संख्या 1100/1988 की तरमीम बिना मौके पर गये राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थीगण के कब्जे की भूमि पर तरमीम कर दी है। जो निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जावे। अप्रार्थी संख्यां 03 ने प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार राशि जमा कराने के उपरान्त पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान के बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम सोरण पटवार मण्डल सोरण तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 200 के अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 200 के खसरा सं0 1100/1988,

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1134, 1140, 1144, 1145, 1145, 1153 कुल किता 7 कुल रकवा 2.7276 हैक्टेयर वाके ग्राम सोरण प0म0 सोरण तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446